डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6-7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 71/2020
जमील पुत्र भागमल जाति मेव निवासी ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी (भरतपुर)राज0

वादी

बनाम

1. खातूनी पत्नि हारून जाति मेव निवासी ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0।
2. मुबीन पुत्र हारून जाति मेव निवासी ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0।
3. मौसम पुत्र हारून जाति मेव निवासी ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0।
4. शाहिद पुत्र हारून जाति मेव निवासी ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0।
5. जाहिद पुत्र हारून जाति मेव निवासी ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0।
6. रासिद पुत्र हारून जाति मेव निवासी ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0।
7. अब्दुल्ला पुत्र हिम्मत जाति मेव निवासी ग्राम पाली तहसील पहाडी (भरतपुर)राज0।
8. मकसूद पुत्र हारून जाति मेव निवासी ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0।

असल प्रतिवादीगण

9. राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, पहाडी जिला भरतपुर

फौरमल प्रतिवादी

10. दीन मौहम्मद पुत्र भागमल जाति मेव निवासी ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील प्रतिवादीगण मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि **दावा वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।**

आज ..... X ...... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/09 सन् 2022 को जारी की गई ।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा पहाडी (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक ...		
मीजान	4.00		मीजान		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 71/2020

जमील पुत्र भागमल जाति मेव निवासी ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी (भरतपुर)

वादी

बनाम

1. खातूनी पत्नि हारून जाति मेव निवासी ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी (भरतपुर)
2. मुबीन पुत्र हारून जाति मेव निवासी ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी (भरतपुर)
3. मौसम पुत्र हारून जाति मेव निवासी ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी (भरतपुर)
4. शाहिद पुत्र हारून जाति मेव निवासी ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी (भरतपुर)
5. जाहिद पुत्र हारून जाति मेव निवासी ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी (भरतपुर)
6. रासिद पुत्र हारून जाति मेव निवासी ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी (भरतपुर)
7. अब्दुल्ला पुत्र हिम्मत जाति मेव निवासी ग्राम पाली तहसील पहाडी (भरतपुर)
8. मकसूद पुत्र हारून जाति मेव निवासी ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी

असल प्रतिवादीगण

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पहाडी (भरतपुर)

फौरमल प्रतिवादी

10. दीन मौहम्मद पुत्र भागमल जाति मेव निवासी ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0।

तरतीवी प्रतिवादी

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई

दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री बृजलाल शर्मा वकील वादी
श्री श्याम बाबू वकील प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6,8
श्री प्रमोद शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 7

दिनांक :–23/09/2022

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि खाता नं0 195 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 78/0.42, 296/0.62, 298/0.29, 363/0.70, 364/0.73, 365/0.27, 368/0.64, 369/0.53, व खाता नं0 179 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 366/0.22 तथा खाता संख्या 180 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 84/0.32 है0 बांके ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुतदाविया वर्णित मद नं0 2 वाद वादी व तरतीवी प्रतिवादी व असल प्रतिवादीगण की सम्मलित कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण व असल प्रतिवादीगण राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

रिकॉर्ड में दर्ज अपने–अपने हिस्से के मुताबिक मनबट कर काश्त करते चले आ रहे है। वादी व तरतीवी प्रतिवादी व असल प्रतिवादीगण के मध्य आराजी मुतदाविया वर्णित मद नं0 2 वाद पत्र का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड विधिवत कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। अब वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी व असल प्रतिवादीगण के मध्य आराजी मुतदाविया को सम्मलित रूप से रखते हुए मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड सम्मलित रूप से काष्त करना सम्भव नहीं है। जिसके सवव वादी व तरतीवी प्रतिवादी ने असल प्रतिवादीगण से आराजी मुतदाविया हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी आराजी का विधिवत कानूनी बंटवारा कर अपने–अपने खाता अलग दर्ज कराने को कहा तो दिनांक 07.08.2020 को असल प्रतिवादीगण ने आराजी मुतदाविया वर्णित मद नं0 2 वाद पत्र का विधिवत कानूनी बंटवारा करने से साफ इन्कार कर दिया जिससे वादी को सख्त हक तलफी है। विधि वजह वादी व तरतीवी प्रतिवादी आराजी मुतदाविया वर्णित मद नं0 2 वाद पत्र का असल प्रतिवादीगण से जरिये अदालत मुताबिक दर्ज हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन करा राजस्व रिकॉर्ड में अपने–अपने हिस्सा का पृथक–पृथक खाता कायम कराकर पृथक–पृथक राज लगान निर्धारित करा पाने के अधिकारी है। वादी एवं असल प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जिसके कारण किसी भी हिस्सेदार का विवादित आराजी मुतदाविया में से किसी भी नम्बर के सम्पूर्ण रकबा से किसी प्रकार को कोई सरोकार नहीं रहा है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में आराजी मुतदाविया का सामलाती खाता दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर असल प्रतिवादीगण आराजी मुतदाविया का विधिवत कानूनी बंटवारा कराये बिना दीगर शख्सों को रहन वय मुन्तकिल कर राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन करने की फिराक में है जिसकी बाबत असल प्रतिवादीगण ने दिनांक 08.08.2020 को वादी व तरतीवी प्रतिवादी को ऐलानिया धमकी दी है कि जैसे शरीफ पुत्र हारून, ताहिर पुत्र हारून हिस्सेदार ने आराजी मुतदाविया का बिना विभाजन कराये अपने हिस्से का बेचान कर दिया इसी प्रकार हम भी आराजी मुतदाविया का बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल कर राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में परिर्वतन कराके रहेगे। यदि असल प्रतिवदीगण अपने इन धमकी भरे इरादों में कामयाब हो गये तो वादी व तरतीवी प्रतिवादी को अपने –अपने हिस्सों रकबो की बाबत ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति जर्रे नगद या अन्य किसी प्रकार से न हो सकेगी। विधि वजह वादी व तरतीवी प्रतिवादी असल प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है वे आराजी मुतदाविया वर्णित मद नं0 2 वाद पत्र का अन्तिम रूप से विभाजन होने तक रहन वय मुन्तकिल कर राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करावे एवं आराजी मुतदाविया के सम्बन्ध में ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे हकूक वादी जायल हो। आराजी की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार है तहसीलदार पहाडी जिनके प्रतिनिधि होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड उनकी तहवील में रहता है वादी का दावा विभाजन का होने के कारण उनको

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

बगर्ज तकमील दावा फौरमल प्रतिवादी पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। जिनके खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से कोई अनुतोश नहीं मांगा गया है। दीन मौहम्मद पुत्र भागमल वादी का भाई है एवं आराजी मुतदाविया में हिस्सेदार दर्ज रिकॉर्ड है। परन्तु वह आवश्यक कार्य की वजह से वक्त दावा दायरी अदालत हाजा उपस्थित नहीं हो सका जिसके सवव उसको दावी हाजा में बतौर तरतीवी प्रतिवादी पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। विनाय मुखास्मत दिनांक 07.08.2020 को असल प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन की इन्कारी सेस व दोयम दिनांक 08.08.2020 को असल प्रतिवादीगण द्वारा धमकी नाजायज देने से बांके ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई दावा अन्दर म्याद एवं न्यायालय श्रीमान को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकारी प्राप्त है। खाता नं0 195 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 78/0.42, 296/0.62, 298/0.29, 363/0.70, 364/0.73, 365/0.27, 368/0.64, 369/0.53, व खाता नं0 179 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 366/0.22 तथा खाता संख्या 180 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 84/0.32 है0 बांके ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी को वादी ,तरतीवी प्रतिवादी, असल प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक खाता व पृथक–पृथक राज लगान निर्धारित किये जाने की इजाजत फरमाई जावे। असल प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे क वे आराजी मुतदाविया वर्णित मद नं0 2 वाद पत्र का विभाजन होने तक आराजी मुतदाविया को रहन वय मुन्तकिल कर राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करावे एवं आराजी मुतदाविया के सम्बन्ध में ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे हकूक वादी जायल हो।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 मय वकील उपस्थित आये एवं प्रतिवादीगण संख्या 3,4,,9 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 व 8 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी मुतदाविया वादी एव हम प्रतिवादीगण की सम्मलित कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी है जिसका वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है जिसके सवव वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड विभाजन कर दिये जाने में हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः जबाब दावा पेष कर निवेदन है कि वादी का दावा विभाजन का डिक्री फरमाया जावें। प्रतिवादी संख्या 7 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि आराजी मुतदाविया में से दो बयनामा प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में उपपंजीयक पहाडी के यहां तस्दीक किये गये। जिनमें से पहले बयनामा शरीफ,ताहिर पिसरान हारून जाति मेव निवासी माधोगढ द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में कराया गया जिसका नामान्तकरण प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अमल हो चुका है तथा दूसरा बयनामा मुबीन , जाहिद पिसरान हारून जाति मेव निवासी माधोगढ ने भी प्रतिवादी के पक्ष में किया । जिनका नामान्तकरण प्रतिवादी के हक में अभी नहीं चढ पाया है। दोनों बयनामा आराजी मुतदाविया किता–10 के 5/66–5/66 हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

के किये गये है वादी प्रतिवादी संख्या 7 के दूसरे बयनामा के नामान्तकरण को रोकने की गरज से उक्त दावा प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा दावा प्रस्तुत कर अनावश्यक तंग व परेशान किया जा रहा है। जबकि प्रतिवादी संख्या 7 का आराजी मुतदाविया में मुताबिक हिस्सा अपनी आराजी पर कब्जा व काश्त है तथा प्रतिवादी के हक में दूसरे बयनामा का नामान्तकरण चढ जाने के बाद प्रार्थी स्वयं बंटवारा कराने हेतु तैयार है। जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी संख्या 1 :– आया वादी खाता संख्या 195 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 78/0.42, 296/0.62, 298/0.29, 363/0.70, 364/0.73, 365/0.27, 368/0.64, 369/0.53, व खाता नं0 179 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 366/0.22 तथा खाता संख्या 180 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 84/0.32 है0 बांके ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी को वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी एवं असल प्रतिवादी के मध्य मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अच्छी में अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने–अपने हिस्सों के पृथक–पृथक खाता व राजलगान कायम करा पाने का अधिकारी है।

.....वादी

तनकी संख्या 2 :– आया वादी असल प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

.....वादी

तनकी संख्या 3 :– आया आराजी मुतदाविया में से पहला बयनामा शरीफ,ताहिर पिसरान हारून व दूसरा बयनामा मुबीन व जाहिद पिसरान हारून ने अपने–अपने हिस्से का प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में उपपंजीयक पहाडी के यहां तस्दीक किये गये हैं।

.....प्रतिवादी संख्या 7

4:–दादरसी ।

दावा में उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में पी0डब्लू0 1 जमील, पी0डब्लू0 2 हस्सन, पी0डब्लू0 3 जमशेद, के शपथ पत्र पेश किये। अन्य साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य वादी बन्द किये गये। साक्ष्य प्रतिवादी में डी0डब्लू0 1 अब्दुल्ला, डी0डब्लू0 2 स्याबू, के शपथ पत्र पेश किये गये। अन्य साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–76, किता–2 पेश की ।

बहस वकील फरीकेन की बहस सुनी। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया है कि विवादित आराजी खाता नं0 195 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 78/0.42, 296/0.62, 298/0.29, 363/0.70, 364/0.73, 365/0.27, 368/0.64, 369/0.53, व खाता नं0 179 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 366/0.22 तथा खाता संख्या 180 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 84/0.32 है0 बांके ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी पक्षकारान के सम्मलित खातेदारी की आराजी है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सम्मलित रूप से काबिज रहकर काश्त कर रहे है। अतः आराजी मुत0 का विभाजन अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे।

दौराने बहस वकील प्रतिवादी संख्या 7 ने कथन किया है कि वादी द्वारा यह दावा प्रतिवादी संख्या 7 को परेशान करने की नियत से किया गया है। वादी द्वारा दावे में सभी आवश्यक पक्षकार को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। वादी द्वारा खाता संख्या 180 के 1/3 हिस्से के खातेदार मुबीना पत्नि तैयब को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अंतर्गत विभाजन हेतु सभी को आवष्यक पक्षकार बनाना अनिवार्य है। वादी द्वारा दावे में आराजी मुत0 का विभाजन अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में चाहा गया है। जबकि साक्ष्य के दौरान स्वयं वादी ने कथन किया है कि "दावे में मैंने यह लिखा है कि आराजी मुत0 का विभाजन अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का मुताबिक हिस्सा किया जाये, जबकि शपथ पत्र में मनबट के आधार पर विभाजन किया जाये। अब हम विभाजन दावे की रिलीफ मद संख्या 9 की उप मद के अनुसार ना चाहकर शपथ पत्र में मनबट के आधार पर चाहते हैं। जो दावे में मेरे द्वारा रिलीफ चाही गयी है, वो गलत है।" अतः वादी द्वारा स्वयं दावे के अनुसार रिलीफ नहीं चाही जा रही है। तो दावा चलने योग्य नहीं है। वादी के दावा एवं साक्ष्य में विरोधाभास है। इसलिए आवश्यक पक्षकार के अभाव एवं दावे अनुसार रिलीफ ना चाहने के कारण वादी का दावा खारिज किया जावे।

हमने बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1 :– आया वादी खाता संख्या 195 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 78/0.42, 296/0.62, 298/0.29, 363/0.70, 364/0.73, 365/0.27, 368/0.64, 369/0.53, व खाता नं0 179 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 366/0.22 तथा खाता संख्या 180 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 84/0.32 है0 बांके ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी को वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी एवं असल प्रतिवादी के मध्य मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अच्छी में अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने–अपने हिस्सों के पृथक–पृथक खाता व राजलगान कायम करा पाने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड विवादित आराजी खाता नं0 195 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 78/0.42, 296/0.62, 298/0.29, 363/0.70, 364/0.73, 365/0.27, 368/0.64, 369/0.53, व खाता नं0 179 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 366/0.22 तथा खाता संख्या 180 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 84/0.32 है0 बांके ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी पक्षकारान के सम्मलित खातेदारी की आराजी है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सम्मलित रूप से काबिज रहकर काष्त कर रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण के अतिरिक्त खाता संख्या 180 में 1/3 हिस्से के खातेदार मुबीना पत्नि तैयब है। जिसे वादी द्वारा दावे में आवश्यक पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अंतर्गत विभाजन हेतु सभी

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

को आवश्यक पक्षकार बनाना अनिवार्य है। साथ ही साथ वादी द्वारा दावे में आराजी मुत0 का विभाजन अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में चाहा गया है। जबकि साक्ष्य में मनबट के आधार पर विभाजन चाहा गया है। अतः वादी द्वारा स्वयं दावे के अनुसार रिलीफ नहीं चाही जा रही है। वादी के दावा एवं साक्ष्य में विरोधाभास है। इसलिए आवश्यक पक्षकार के अभाव एवं दावे अनुसार रिलीफ ना चाहने के कारण वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी एवं असल प्रतिवादी के मध्य मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अच्छी में अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने–अपने हिस्सों के पृथक–पृथक खाता व राजलगान कायम करा पाने का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया वादी असल प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की जा चुकी है। अतः वादी असल प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी भी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– आया आराजी मुतदाविया में से पहला बयनामा शरीफ,ताहिर पिसरान हारून व दूसरा बयनामा मुबीन व जाहिद पिसरान हारून ने अपने–अपने हिस्से का प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में उपपंजीयक पहाडी के यहां तस्दीक किये गये हैं।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 7 पर है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–74 यह स्पष्ट है कि शरीफ,ताहिर पिसरान हारून ने प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में बयनामा कराया है। क्योंकि जमाबंदी में नामान्तरण संख्या 13 के माध्यम से बयनामा का इन्द्राज है। परंतु दूसरा बयनामा प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। ना ही उसका इन्द्राज जमाबंदी में है। अतः प्रतिवादी संख्या 7 पूर्ण रूप से तनकी को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः यह तनकी आंशिक रूप से वहक प्रतिवादी संख्या 7 निर्णित की जाती है।

4 :–दादरसी । तनकी संख्या 1,2 पूर्ण रूप से एवं तनकी संख्या 3 आंषिक रूप से प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी काबिले खारिज है। वादी अपने दावे को सिद्ध करने में असफल रहा है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी इसी रतर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23/09/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner